RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 8

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आलू की फसल करीब–करीब तैयारी की ओर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके पहले सप्ताह फरवरी, 2014 तक शीतगृहों में आने लगने की सम्भावना है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही आलू भण्डारण शुरू हो पाने की आशा व्यक्त की जा रही है। अभी तक आलू की फसल बहुत अच्छी कही जा सकती है। कुछ स्थानों पर वर्षा अधिक हो जाने के कारण आलू को कुछ हानि अवश्य हुई है परन्तु इस हानि को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम 15 दिन संकट के और हैं जबकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल करीब–करीब तैयार है।

आलू के भाव ऊँचे अवश्य है परन्तु उत्पादन की लागत बढ़ जाने के कारण आलू के भाव में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ तेज रहने की सम्भावना तो है ही किन्तु फिर भी फसल तैयार होते होते आलू के भाव मे गिरावट की आशा की जा रही है क्योकि बुआई का क्षेत्र इस वर्ष गत वर्ष से कुछ कम नहीं हुआ है, मौसम अनुकूल रहा है तो गत वर्ष से उत्पादन अधिक ही होगा और इस प्रकार शीतगृहो में भण्डारण भी गत वर्ष की अपेक्षा काफी अच्छा रहेगा।

हमारी अपने सदस्यों को सलाह है की जहाँ तक हो सके कम से कम लोन बाँटें व भण्डारण प्रभार में छूट देने की चेष्टा न करें। किसी भी प्रकार की घबराहट से कोई लाभ नहीं होगा। यह वर्ष घबराने का वर्ष नहीं है।

एसोसिएशन को और अधिक प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में :

करीब तीन वर्ष पहले हमने कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को अधिक गतिशील बनाने के लिए 11 उपाध्यक्ष मनोनीत किए थे जिससे कि एसोसिएशन अपने सदस्यों को अधिक और सही जानकारी दे सकें। हमारे इस प्रयास में हमें अधिक सफलता नहीं मिली। अतः इस कार्य को और सफल बनाने के लिए हम अब श्री राजेश गोयल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोनीत कर रहे हैं जिससे कि वह सारे उपाध्यक्षों से बराबर सम्पर्क करते रहें और उनके कार्यों की समीक्षा करते रहें।

इन तीन वर्ष के अन्तराल में कई उपाध्यक्षों ने कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यदि वह एसोसिएशन के कार्य करने में कुछ दुविधा महसूस करते हैं तो श्री राजेश गोयल से सम्पर्क करके उन्हें अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। हमारे सदस्यों की माँग बहुत जोर पकड़ती जा रही है कि उत्पादन, भण्डारण व आलू निकासी के बारे में हमसे समय रहते सही जानकारी नहीं मिल रही है। यह कार्य मुख्यतः उपाध्यक्षों से अपेक्षित है इसलिए हम श्री राजेश गोयल से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अनिवार्य रूप से उपाध्यक्षों से आलू सम्बन्धी रिपोर्ट प्रति माह एकत्रित करें और मुख्यालय को भेजें। यदि वह यह महसूस करते है कि कुछ उपाध्यक्ष इस कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे है तो उनके स्थान पर दूसरे उपाध्यक्ष मनोनीत करने के लिए हमें अपना प्रस्ताव भेजें। उत्तम यह होगा कि पहले से मनोनीत उपाध्यक्षों को ही प्रेरित किया जाए कि वह एसोसिएशन के कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करें।

हैदराबाद की मीटिंग के सम्बन्ध में :

दिसम्बर 23, 2013 को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग आयोजित की गई। यह मीटिंग फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स व चैम्बर आफ कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्री आन्ध्र प्रदेश के साथ–साथ आयोजित की गई।

इस मीटिंग का आयोजन श्री गुब्बा नगेन्द्र राव, अध्यक्ष, चैम्बर आफ कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्री आन्ध्र प्रदेश के हाथों में था। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया व बहुत ही उच्चकोटि का कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी सख्या में सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जो कि बहुत की उत्साहवर्धक रही। आन्ध्र प्रदेश के बाद फेडरेशन के सदस्यों की उपस्थिति सराहनीय थी। यहाँ पर हम मीटिंग के कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं :–

दीप प्रज्ज्वलन

अध्यक्ष, श्री महेन्द्र स्वरूप को स्मृति चिन्ह भेट करते हुए चैम्बर ऑफ कोल्ड स्टोरेज, आन्ध्र प्रदेश के सदस्यगण

मीटिंग का एक दृश्य

सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया

मीटिंग का एक दृश्य

मीटिंग का एक दृश्य

फार्म 4

❑ प्रकाशन स्थान	:	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशन अवधि	:	मासिक
❑ मुद्रक का नाम	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र स्वरूप
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ जो व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

महेन्द्र स्वरूप

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Senior Vice President
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President., **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया को और प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में :

हमने यह महसूस किया है कि हमें फेडरेशन को अधिक गति देनी चाहिए। इसको गतिशील बनाने के लिए हमने कुछ परिवर्तन किए है। श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोनीत कर रहे हैं। वह सारे उपाध्यक्षों से सम्पर्क साधेंगे वा हर प्रदेश की मासिक रिपोर्ट हम तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। फेडरेशन का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है अतः मैं अपेक्षा करता हूँ कि समय–समय पर श्री आशीष गुरू फेडरेशन के अन्य सदस्यों से संपर्क साध कर रहने वाली समस्याओं का निस्तारण करते रहेंगे।

श्री मुकेश अग्रवाल को Honorary Secretary सेक्रेट्री के स्थान पर उपाध्यक्ष, दिल्ली वा कोआर्डिनेटर Government Affairs रहेंगे। श्री राजेश गोयल को Hony. Secretary मनोनीत कर रहे है। National Coordinator के स्थान पर श्री भुवेश अग्रवाल को चुना गया है।

Food Safety Act के सम्बन्ध में :

अभी तक हमारा यह विचार था कि शीतगृह फूड सेफ्टी एक्ट के अर्न्तगत नहीं आते परन्तु विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों से बात करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सरकारी तन्त्र की परेशानियों से बचने के लिए यह उत्तम होगा की शीतगृह इस एक्ट के अर्न्तगत अपने को रजिस्टर करा लें। हमने कमिशनर फूड सेफ्टी, उत्तर प्रदेश से बात करके ही यह फैसला लिया है।

Federation : 4/2014 January 25, 2004

All Office Bearers Federation of Cold Storage Associations of India

Subject : Regarding Licence of Cold Storage under provision of Food Safety and Standards Act 2006

After consultations with the Commissioner Food Safety, Uttar Pradesh, we have come to the conclusion that under the present conditions Cold Storages must get registered under Food Safety and Standards Act.

Kindly communicate this message to your Members to avoid any inconvenience in future and advise them to get themselves registered.

With best wishes,

For **Federation of Cold Storage Associations of India**

(Mahendra Swarup)
President

Ahemdabad	:	Shri Ashish Guru
Bihar	:	Shri S.N. Ashraf
Delhi	:	Shri Mukesh Agarwal
Indore	:	Shri B.L. Jaju
Kolkata	:	Shri Ram Pada Paul
Kurukshetra (Haryana)	:	Shri Kulwant Singh Saini
Rajasthan	:	Shri Nirmal Kumar Patni
Sambalpur (Orissa)	:	Shri Shyam Pansari
Punjab	:	Shri Jang Bahadur Singh Sangha
Andhra Pradesh	:	Shri Gubba Nagendra Rao
Tamilnadu	:	Shri A.V.S. Mukunthan
Uttaranchal	:	Shri Madan Lal Jindal

c.c. : Shri Hansmukh Jain Gandhi, Gandhi Cold Storage,
211 Devdhar Complex Cantonment, Indore

c.c. : Shri Mohit Agarwal
Madhu Villa, Marris Road, Opp. Tika Ram Hospital, Aligarh

c.c. : Shri Anil Katiyar
Ratan Cold Storage, Farrukhabad (U.P.)

c.c. : Shri Rajesh Goyal
G.T. Cold Storage, Agra

नए शीतगृह व पुराने शीतगृहों के आलू की बुकिंग

संख्या : 3532/अठ्ठावन–1–98–100 (28)/98

प्रेषक,

श्री अरविन्द मोहन,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै.क्षे.) उ.प्र. (लखनऊ)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक : 16–10–98

विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–44 के अधीन जारी निदेश

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) की धारा–44 के अधीन शीतगृहों में भण्डारण नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेन्स समयावधि तथा लाइसेन्स के नवीनीकरण आदि हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्माण लिया गया है :–

1. **भण्डारण हेतु उपलब्ध क्षमता का उपयोग :** प्रदेश के समस्त शीतगृहों में प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी से खिड़की और बुकिंग प्रक्रिया लाइसेन्सधारी द्वारा प्रारम्भ की जायेगी और कुल भण्डारण क्षमता का 85 प्रतिशत बुकिंग होने की अवधि तक अथवा फरवरी माह के 14 तारीख तक जो पहले ही बुकिंग चालू रखी जायेगी।
   1. कोल्ड स्टोरेज अधिनियम की धारा–14 (1) के अर्न्तगत 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस प्रतिबन्ध के साथ कि 15 मार्च के अन्दर ही दिये गये निर्देश मान्य होंगे, किया जायेगा

इसके पश्चात् अवशेष भण्डारण क्षमता का उपयोग लाइसेन्सधारी स्वविवेक और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुये करेगा।

2. शेष 15 प्रतिशत क्षमा का उपयोग लाइसेन्सधारी द्वारा नियमावली के नियम–3 (8) के अनुसार किया जा सकेगा।

2. बुकिंग हेतु पर्ची/स्लिप का निर्गमन : (क) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि आलू उत्पादक कृषक है तो उसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वी.डी.सी. सदस्य/जिला पंचायत सदस्य/ब्लाक प्रमुख/ नगर पंचायत सदस्य या अध्यक्ष लेखापाल या ग्राम विकास अधिकारियों से गाँव का काश्तकार होने के सम्बन्ध में केवल एक पर्ची (स्लिप) प्राप्त की जायेगी जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम व पोस्ट, जनपद का नाम, कुल बोये आलू का क्षेत्रफल कुल उत्पादित आलू की मात्रा बोरों/कुन्टल में तथा भण्डारित होने वाले आलू की मात्रा कुन्टल/बोरों में प्रमाणित की जायेगी। इस श्रेणी के भण्डारणकर्ताओं हेतु शीतगृह की कुल क्षमता की 75 प्रतिशत क्षमता नियत होगी।

(ख) इच्छुक भण्डारणकर्ताओं यदि कृषक नहीं है तो उसे आलू को भण्डारित कराने के लिये उसके द्वारा प्रस्तुत पर्ची में उसका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा व्यवसाय, जिलाधिकारी/परगनाधिकारी/जनपद उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं आलू भण्डारित करने का आशय अंकित करना होगा। ऐसे भण्डारणकर्ताओं के आलू को कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस बुकिंग का रिकार्ड कृषकों की रिकार्ड पंजिका में पृथक पंजिका पर की जायेगी।

(ग) यदि 'क' व 'ख' में निर्धारित क्षमता की बुकिंग 14 फरवरी तक न हो तो लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये शेश क्षमता का उपयोग स्वविवेक से कर सकता है।

3. बुकिंग खिड़की : बुकिंग हेतु प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक खिड़की पर बुकिंग हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

4. बुकिंग की जमानत राशि : इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार और

स्थान में उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जितने कुन्टल भण्डारण के लिये बुकिंग की जायेगी उसके सापेक्ष 10.00 रुपये (मात्र दस रुपये) प्रति कुन्टल की दर से जमानत की राशि भी देनी होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 200 बोरा के लिये जमाना की अधिकतम धनराशि रुपया 1500 (रुपया पन्द्रह सौ मात्र) तथा इसके ऊपर बोरी के लिये रु. 4000.00 (रुपये चार हजार मात्र) से अधिक नहीं की जायेगी। बुकिंग पर्चा इच्छुक भण्डारणकर्ता को आलू भण्डारण हेतु तिथि तथा उससे ली गयी जमानत की धनराशि को अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जायेगा एवं उसकी उक्त रसीद भी दी जायेगी।

5. **जमान्त की धनराशि का समायोजन :** इच्छुक भण्डारणकर्ता से ली गयी जमान्त की धनराशि का उसके द्वारा भण्डारित माल की निकासी के समय समायोजन कर दिया जायेगा।

6. **भण्डारण न करने की दशा में जमानत की धनराशि का जब्त किया जाना :** यदि कोई इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी बुकिंग के सापेक्ष माल भण्डारित नियत तिथि को नहीं कराता है तो उसके द्वारा दी गयी जमानत की धनराशि लाइसेन्सधारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

7. **बुकिंग एव समीक्षा :** प्रत्येक लाइसेन्सधारी शीतगृहों पर की गयी बुकिंग की नियमानुसार पता व नाम की सूची जनपद उद्यान कार्यालयों को साप्ताहिक रूप में उपलब्ध करायेगा और सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय के अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार मौके पर जाकर समीक्षा करेंगे, तथा कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् अनियमित रूप से की गई बुकिंग की निरस्त कर सकेंगे प्रतिबन्ध यह है कि निरस्त करने की प्रक्रिया भण्डारण के पश्चात् प्रभावी नहीं होगा।

8. **भण्डारण रसीद का तौल सहित निर्गमन :** लाइसेन्सधारी भण्डारणकर्ता की अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत पूर्ण पता युक्त रसीद भण्डारण होने के तुरन्त बाद निर्गत करेगा जिसमें तौल और किराये का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जायेगा। इस हेतु समस्त भण्डारणकर्ता का भी दायित्व है कि वह 2 (क) व (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता आदि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें।

9. **बीमा :** अधिनियम की धारा 23 में प्रत्येक लाइसेन्सधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज में किये गये

कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार हो या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा का प्राविधान है इन्हीं प्राविधानों के अनुरूप बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय 9 में वर्णित कार्यवाही से पूर्व संदर्भ प्रकरणों पर लाइसेन्सधारी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवसर देंगे तथा परीक्षण के पश्चात् संतुष्ट होने पर नियमानुसार इस अध्याय के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

10. नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेन्स हेतु समयावधि : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–9 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा अथवा नवनिर्मित शीतगृहों का लाइसेन्स अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति, नियमावली व लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करके आवेदनपत्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के जनपदीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और जनपदीय अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर प्राप्ति स्वीकार करने विषयक रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देंगे जिस पर कार्यालय की मुद्रा और तिथि अंकित होगी, साथ ही प्राप्त सलंग्नकों का भी विवरण अंकित होगा।

जनपदीय उद्यान अधिकारी अपने स्तर पर आपेक्षित कार्यावाही पूर्ण करके आवेदन–पत्र अपने मण्डलीय अधिकारी को प्राप्ति तिथि से 10 दिनों के भीतर अग्रसारित कर देंगे और मण्डलीय उद्यान अधिकारी के स्तर की कार्यवाही अधिकतम 5 दिनों में पूर्ण कर प्रकरण को निदेशक एवं लाइसेन्सिंग अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. को अग्रसारित कर दिया जायेगा और निदेशक/लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञा/लाइसेन्स 10 दिनों की अवधि में निर्गत किया जायेगा।

11. कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु समयावधि : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और लाइसेन्सिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. द्वारा

समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी एवं लाइसेन्सिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियाँ का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेन्सधारियों को दूसरा चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु/लाइसेन्सधारी को बाध्य किया जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ को भी अवगत करा दें।

भवदीय

(अरविन्द मोहन)

सचिव

कुछ रोचक तथ्य आलू के सम्बन्ध में :

हमें श्री भुवेश अग्रवाल, अम्बिका शीतगृह प्रा.लि., आगरा ने आलू के सम्बन्ध में एक रोचक लेख भेजा है जिसे हमें यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

"आलू की खोज की कहानी करीब 8000 साल पुरानी है। दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीविया को आलू का जन्म स्थान माना जाता है। दक्षिण अमेरिका में पेरू ओर बोलीविया की सीमाओं के बीच एंडीज की पहाड़ियों पर इसकी खेती की शुरूआत हुई। यहाँ इंका सभ्यता से जुड़े आदिवासी जंगली आलू उगाया करते थे। आदिवासियों को आलू की करीब 500 किस्म का ज्ञान था। 1492 में कोलंबस जब पेरू पहुँचा था तो उसने जमीन के नीचे शकरकंद जैसे कंद उगते देखे। शकरकंद को बटाटा कहते थे तो उसने आलू को पटाटा कहा। बाढ़ में अंग्रेजों ने इसे पोटेटो कहना शुरू किया। फ्रांस में एतोइर्न ऑगस्त पारमेतियर नाम के एक विद्वान ने आलू की खेती को बढ़ाया। सात साल जेल में बंद होने के बाद रिहा होने पर उन्हें कुछ जमीन दी

गयी। 'पारमेतियर' ने उस जमीन पर आलू बो दिए। फसल लहलहा उठी। तो सम्राट ने उन्हें आलू की खेती करने को कहा। खेती से पहले उन्होंने राजा से शर्त रख ली कि जो वह कहेंगे वह उन्हें करना पड़ेगा। महल के पीछे आलू बोए गए। जब फूल आएं तो उन्होंने राजा से फूल को उनके शाही अचकन और रानी के जूड़े में लगवा दिए। जनता हैरान रह गयी कि यह कौन सी शाही फसल है। फसल पर दिन में पहरा रहता रात में पहरा हटा दिया जाता। रात में जनता आलू उखाड़कर ले जाती। जनता के बीच आलू को लेकर सस्पेंस बनाया गया और आलू को फेमस किया गया। फ्रांस की जनता के मुँह आलू का ऐसा स्वाद लगा कि फ्रेंच–फ्राई नाम का व्यंजन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। भारत में आलू 17वीं शताब्दी में पूर्तगालियों के साथ पहुँचा। भारत में कंद की फसलों को संस्कृत में 'आलु कहते थे बाद में इसे भारत में आलू कहा जाने लगा। इस प्रकार देश विदेश में आलू प्रसिद्ध हो गया। आज दुनिया में करीब 32 करोड़ टन से ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। भारत, चीन और रूस के बाद विश्व में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।'

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित